छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक –178 | प्रकरण क्रमांक–**M-COM-2023-02039**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''अविनाश चितवन फेस–1'', प्रमोटर–मेसर्स ए.आई.एम. इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेव्हलपर्स, द्वारा–श्री आनंद सिंघानिया, पता–होटल अमित रेसीडेन्सी, मोतीबाग चौक, जिला–रायपुर (छ.ग)

प्रोजेक्ट–'' अविनाश चितवन फेस–1'' कचना, जिला–रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
10/01/2024	– प्रकरण प्रस्तुत । – भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा–5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट ''अविनाश चितवन फेस–1'' पंजीयन क्रमांक–**PCGRERA010620001117** के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनाँक 01.06.2020 से पंजीकृत किया गया भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–4 (2)(l)(D) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सभी प्रमोटर्स को उनके प्रत्येक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में आबंटितियों से प्राप्त राशि एवं उपयोग रेरा विनिर्दिष्ट खाते के माध्यम से नियमानुसार करना अनिवार्य है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक–06/रेरा/2018/158, दिनाँक 19.04.2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये गये थे, जो प्राधिकरण की वेबसाईट पर सहज उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा द्वारा प्रतिवेदन दिनाँक 22.08.2023 के अनुसार यह पाया गया कि संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के प्रावधानों तथा प्राधिकरण के निर्देशों की अवहेलना करते हुए, रेरा विनिर्दिष्ट खाता का नियमानुसार संचालन नहीं किया जा रहा है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरूद्ध दिनाँक 25.09.2023 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। – अनावेदक द्वारा अपने प्रतिनिधि श्री प्रशांत जैन से जवाब प्रस्तुत करते हुये लेख किया गया है कि प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट ''अविनाश चितवन फेस–1'' को छ.ग. रेरा में पंजीयन नंबर–**PCGRERA010620001117** के रूप में पंजीकृत कराया गया है। उनके द्वारा प्रोजेक्ट के विनिर्दिष्ट खाता से संबंधित चेक बुक को बैंक को वापस लौटाया गया है तथा चेक से थर्ड पार्टी को भुगतान नहीं किया गया है।	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक –178 | प्रकरण क्रमांक–**M-COM-2023-02039**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''अविनाश चितवन फेस–1'', प्रमोटर–मेसर्स ए.आई.एम. इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेव्हलपर्स, द्वारा–श्री आनंद सिंघानिया, पता–होटल अमित रेसीडेन्सी, मोतीबाग चौक, जिला–रायपुर (छ.ग)

प्रोजेक्ट–'' अविनाश चितवन फेस–1'' कचना, जिला–रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	– प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा चेक बुक को बैंक को वापस लौटाया गया तथा चेक बुक से थर्ड पाटी को भुगतान नहीं किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि अनावेदक द्वारा भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–4 (2)(l)(D) का पालन किया गया है। अनावेदक को रेरा अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने एवं भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं करने हेतु चेतावनी देते हुये प्रकरण की कार्यवाही समाप्त किया जाता है। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर, अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही/– (धनंजय देवांगन) सदस्य सही/– (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	